



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 446] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 6, 1992/कार्तिक 15, 1914
No. 446] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 6, 1992/KARTIKA 15, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be field as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1992

सा. का. नि. 857(अ):—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा न्यासी मण्डल द्वारा पारादीप

पत्तन के लिए बनाए गए तथा इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित पारादीप पत्तन कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियमन, 1991 के शुद्धि पत्र को अनुमोदित करती है।

2. उपर्युक्त विनियम, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने का तारीख से लागू होंगे।

[संख्या एच.-11011/4/92 पी ई.-1]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 1992

G.S.R. 857(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Corrigendum to Paradip Port Employees (General Provident Fund) Regulations, 1991 made by the Board of Trustees for the Port of Paradip and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publications of this notification in the official Gazette.

[No. H-11011/4/92-PE. I]

ASHOKE, JOSHI, Jt. Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1992

सा. का. नि. 858(अ).—केन्द्र सरकार द्वारा सा. का. नि. संख्या 150(अ) दि. 19-3-1991 के तहत स्वीकृत तथा दि. 19-3-91 के भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित पारादीप पत्तन कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियमन के बादा अने वाले वर्ष के स्थान पर वर्ष 1991 प्रतिस्थापित किया जाए।

[स. एच.-11011/4/92—पी ई-1]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 6th November, 1992

G.S.R. 858(E).—The year 1989 approving after Paradip Port Employees (General Provident Fund) Regulations, sanctioned by the Central Government vide G.S.R. No. 150(E) dated 19-3-91 and published in the Gazette of India (Extraordinary) dated 19-3-1991 should be substituted by the year 1991.

[No. H-11011/4/92-PE. I]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.